

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

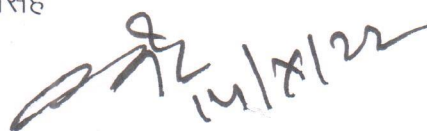
क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला सिरोही के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	श्री महेन्द्र चौधरी	उप मुख्य सचेतक	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2.	श्री अर्जुन पुरोहित	जिला प्रमुख	सदस्य
3.	श्री लीलाराम गरासिया, आबूरोड जिला सिरोही	प्रधान, पं.स. आबूरोड	सदस्य
4.	श्री नितिन बंसल, पिण्डवाड़ा	प्रधान, पं.स. पिण्डवाड़ा	सदस्य
5.	श्रीमती राधिका देवासी, रेवदर, जिला सिरोही	प्रधान, पं.स. रेवदर	सदस्य
6.	डॉ. संध्या चौधरी, पिण्डवाड़ा		सदस्य
7.	श्रीमती गंगाबेन गरासिया		सदस्य
8.	श्री प्रकाश राज मीणा, पार्षद, शिवगंज		सदस्य
9.	श्री लकमाराम कोली, दोलपुरा		सदस्य
10.	श्री हबीब शेख, शिवगंज		सदस्य
11.	श्री नारायणसिंह भाटी पुत्र श्री जयसिंह, माउन्ट आबू जिला सिरोही		सदस्य
12.	श्री मारुफ हुसैन, पार्षद, सिरोही		सदस्य
13.	श्री रतन देवासी, माउन्ट आबू सिरोही		सदस्य
14.	श्री लालाराम गरासिया पुत्र श्री उदाराम, पूर्व विधायक, पिण्डवाड़ा (सिरोही)		सदस्य
15.	श्री अनाराम बोराना पुत्र श्री खीमाराम, पूर्व जिला प्रमुख		सदस्य
16.	श्री हीरा भाई अग्रवाल पुत्र श्री भगवान साई, दत्ताणी तहसील रेवदर जिला सिरोही		सदस्य
17.	श्री राजेन्द्र सांखला, सिरोही		सदस्य
18.	श्री जीवाराम आर्य पुत्र श्री फाउडाराम, अरठवाड़ा		सदस्य
19.	श्रीमती पदमा कंवर पत्नी श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व प्रधान सिरोही		सदस्य


14/10/22

20.	श्री भूपेन्द्रसिंह देवडा, अनादरा	सदस्य
21.	श्री आनन्द कुमार जोशी पुत्र श्री अम्बाराम जोशी, रेवदर	सदस्य
22.	श्री अमित जोशी पुत्र श्री राधेश्याम जोशी, आबू रोड सिरौही	सदस्य
23.	श्री निम्बाराम गरासिया	सदस्य
24.	श्री अचल सिंह बालिया, पिण्डवाडा	सदस्य
25.	श्री प्रेमराम देवासी, पिण्डवाडा	सदस्य
26.	श्री देवेन्द्र सिंह, जोलपुर (रेवदर)	सदस्य
27.	श्री किशोर बाफना, सरपंच, मालगांव	सदस्य
28.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
29.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं प्रशासक	सदस्य
30.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
31.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
32.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
33.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:-

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,


14/10/22
(सी. पी. मण्डावरिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. जिला कलेक्टर, सिरोही को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
16. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/ 82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
17. रक्षित पत्रावली।


14/11/22
संयुक्त शासन सचिव

नोट:- समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/ विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।